भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2350

04.08.2025 को उत्तर के लिए

एनसीएपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए निधि

2350. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतर्गत शामिल किए गए आंध्र प्रदेश के शहरों के नाम क्या हैं और उन्हें शामिल किए जाने के वर्ष कौन से हैं;

(ख) एनसीएपी और प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतर्गत विशाखापत्तनम सहित उक्त शहरों में से प्रत्येक को आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि, जिसमें उनके शामिल किए जाने के बाद से शुरू की गई उक्त परियोजनाओं का वर्षवार और शहरवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विशाखापत्तनम सहित उक्त शहरों में शहर-स्तरीय स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें पीएम 10 या पीएम 2.5 के स्तर को कम करने में हुई मापनीय प्रगति का शहर-वार ब्यौरा शामिल है;

(घ) क्या 15$^{वें}$ वित्त आयोग के मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड (एमपीसीसीएफ) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के शहरों को कोई कार्य-निष्पादन आधारित अनुदान वितरित किया गया है, और यदि हां, तो विशाखापत्तनम सहित शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे वितरण के निर्धारण में प्रयुक्त मानदंड और कार्य-निष्पादन के मानक क्या हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय ने एनसीएपी की निधि को प्राप्त करने या उसका उपयोग करने में आंध्र प्रदेश के शहरों के सामने आने वाली बाधाओं का कोई आकलन किया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं या किए गए हैं;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशाखापत्तनम में पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक पीएम10 सांद्रता में 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो इसके लिए पहचाने गए प्रमुख कारक क्या हैं और सरकार द्वारा उक्त शहर में स्थानीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(छ) स्थानीय या राज्य प्राधिकरणों द्वारा अतिरिक्त निधि या संशोधित कार्य योजनाओं की मांग करने वाले लंबित प्रस्ताव, यदि कोई हो, की स्थिति क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (छ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का उद्देश्य 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों (वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले शहरों और दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों) की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

आंध्र प्रदेश के कुल 13 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें से 11 शहरों (अनंतपुर, चित्तूर, एलुरु, गुंटूर, कडप्पा, कुरनूल, नेल्लोर, ओंगोल, राजमुंदरी श्रीकाकुलम और विजयनगरम) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है और 02 शहरों (विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम) को वायु गुणवत्ता प्रदर्शन अनुदान के रूप में 15वें वित्त आयोग के मिलियन-प्लस सिटी चैलेंज फंड के तहत वित्त पोषित किया गया है।

एनसीएपी के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक आंध्र प्रदेश के 13 शहरों को कुल 734.86 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। अब तक 384.17 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है और 195.19 करोड़ रूपये का उपयोग किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश के 13 लक्षित शहरों के लिए धनराशि आवंटन करने, जारी करने और उपयोग का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम ई-बस सेवा, किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) और नगर वन योजना के साथ-साथ अन्य कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, नगर निगमों और अन्य विकास प्राधिकरणों के संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से सभी संसाधनों का संग्रहण सुगम हो जाता है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने व्यय विभाग (डीओई) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान के हिस्से के रूप में 67.54 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की सिफारिश की है। विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम को उक्त राशि जारी नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा व्यय विभाग के दिनांक 10.08.2021 के दिशानिर्देशों की पूर्व-अपेक्षाओं को पूरा करने के संबंध में अनुपालन लंबित था, जिसमें हाल के पांच वर्षों में राज्य के अपने जीएसडीपी की साधारण औसत वृद्धि दर के अनुरूप संपत्ति कर में वृद्धि के साथ संपत्ति कर के लिए न्यूनतम नियत दरों की अधिसूचना शामिल थी। मंत्रालय ने राज्य सरकार को धनराशि प्राप्त करने के लिए अनुपालन करने संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को धनराशि जारी करने के मानदंड **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश के सभी शहरों द्वारा संबंधित शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य वायु प्रदूषण में कमी लाना है और विभिन्न स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, अपशिष्ट जलाना, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों तथा औद्योगिक प्रदूषण से निपटना है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 14.05.2025 के पत्र के माध्यम से दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, और सूचित किया है कि शहरों को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग 5 प्रमुख कार्यकलापों में किया जाना है, जिनमें (i) धूल नियंत्रण के लिए सड़क सुधार कार्य जैसे सड़कों पर एंड-टू-एंड पेवमेंट और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, (ii) खुले क्षेत्रों और यातायात गलियारों को हरा-भरा करना, (iii) भीड़भाड़ कम करने के लिए यातायात जंक्शनों का सुधार, (iv) श्मशान घाटों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, और (v) व्यापक जागरूकता और सार्वजनिक पहुँच शामिल हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 22.05.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से शहरों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, एनसीएपी के तहत आवंटित धन और अपने स्वयं के संसाधनों के साथ अभिसरण के माध्यम से संसाधनों का लाभ उठाकर मिशन मोड में 100 प्रतिशत संतृप्ति के लिए शहरी कार्य योजना को लागू करने के लिए सूचित किया है।

विशाखापत्तनम सहित आंध्र प्रदेश के अन्य शहरों में किए गए वायु गुणवत्ता सुधार उपायों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में संलग्न है।

आंध्र प्रदेश के 13 शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार की स्थिति का ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

सीपीसीबी के नोडल अधिकारियों ने शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन का क्षेत्रीय सत्यापन किया है। इसके अलावा, विशाखापत्तनम में किए गए स्रोत विभाजन अध्ययन के अनुसार, कणिकीय पदार्थ प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में पुनर्निलंबन/सड़क/मिट्टी की धूल, यातायात/वाहन उत्सर्जन, थोक सामग्री प्रबंधन और ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग शामिल हैं। इसके अलावा, लाल श्रेणी के उद्योगों की उपस्थिति और तीन तरफ पहाड़ों और दूसरी तरफ समुद्र से घिरे कटोरे जैसे क्षेत्र के निर्माण के कारण और फैलाव की विपरीत स्थिति के कारण वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने के साथ-साथ अन्य वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, नगर निगमों को शहरी कार्य योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

एनसीएपी के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक (दिनांक 30.07.2025 तक) आंध्र प्रदेश के 13 शहरों में आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	शहर	आवंटन	जारी की गई कुल राशि	उपयोग की गई कुल राशि	उपयोग की प्रतिशतता
		पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत वित्त पोषित शहर				
1	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	24.41	13.85	8.77	63%
2		चित्तूर	11.85	7.20375	5.32	74%
3		एलुरु	13.07	5.82	4.61	79%
4		गुंटूर	26.18	18.8	16.67	89%
5		कडापा	20.21	11.325	7.76	69%
6		कुरनूल	23.92	10.5325	6.07	58%
7		नेल्लोर	47.29	26.175	24.07	92%
8		ओंगोल	17.19	10.05875	7.86	78%
9		राजमुंदरी	20.59	8.71	8.24	95%
10		श्रीकाकुलम	7.78	5.245	3.89	74%
11		विजयनगरम	10.25	6.73	5.29	79%
		15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत वित्त पोषित शहर				
12		विजयवाड़ा	238	130.35	57.09	44%
13		विशाखापत्तनम	274.12	129.37	39.55	31%
कुल			**734.86**	**384.17**	**195.19**	**51%**

*****

अनुलग्नक-II

दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को धनराशि जारी करने के मानदंड

व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, वायु गुणवत्ता के संबंध में शहर के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित चार मानदंडों पर आधारित होगा:

क. प्रदूषण निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रकोष्ठ का प्रचालन।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम वायु गुणवत्ता डेटा प्रबंधन प्रणाली।
- समन्वय समिति द्वारा शहर की कार्य योजनाओं, लोक शिकायत निवारण पोर्टल, आपातकालीन अभिक्रिया और जागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति और निगरानी सहित समीक्षा।

ख. वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारण विश्लेषण

- हॉटस्पॉट सहित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान हेतु वायु गुणवत्ता प्रोफ़ाइलिंग।
- स्रोत विभाजन अध्ययन और एक सुदृढ़ उत्सर्जन सूची और ट्रैकिंग प्रणाली की स्थापना।
- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्सर्जन सूची प्रणाली का विकास।

ग. कार्य योजनाओं की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन

- कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन और अद्यतनीकरण।
- वाहनों की पीयूसी की निगरानी।
- अवसंरचना योजना और (सीएएक्यूएमएस)/(मैनुअल एक्यूएमएस) की स्थापना।

घ. वायु गुणवत्ता सुधार का परिमाणीकरण

- वायु प्रदूषण के स्तर (पार्टिकुलेट मैटर) में कमी।
- एक्यूआई स्तर में वृद्धि की आवृत्ति।

घ. (i) वायु प्रदूषण के स्तर (पार्टिकुलेट मैटर) में कमी

तालिका क - PM_{10} वार्षिक औसत सांद्रता

क्र. सं.	वार्षिक औसत सांद्रता में कमी (%)	सुधार
1	15 और अधिक	उच्च
2	<15	कम

घ. (ii) एक्यूआई स्तरों में अधिकता की आवृत्ति: प्रति वर्ष निगरानी किए गए कुल सामान्य दिनों में से एक्यूआई (मध्यम - 200) से अधिक दिनों की संख्या को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

तालिका ख - अच्छे दिन (एक्यूआई <200)

क्र. सं.	अच्छे दिनों में वृद्धि (%)	सुधार
1	15 और अधिक	उच्च
2	<15	कम

उपरोक्त तालिका 'क' और 'ख' में ग्रेडिंग के आधार पर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए संयुक्त प्रदर्शन कारक को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार शहरों/यूए के लिए वर्गीकृत और मूल्यांकन किया जाएगा:

क्र. सं.	वार्षिक औसत सांद्रता में कमी (%) (तालिका क से)	अच्छे दिनों में वृद्धि (%) (तालिका ख से)	प्रदर्शन कारक, एस$_{पी}$
1	उच्च	उच्च	100
2	कम	उच्च	75
3	उच्च	कम	50
4	कम	कम	25

तालिका ग: शहरों को निधि आवंटन (प्रदर्शन आधारित)

शहर का स्कोर (एस)	वर्ष 2021-22 से निधि आवंटन का प्रतिशत
80-100	100
60-80	75
50-60	50
40-50	25
40 से नीचे	शून्य

शहर के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए सापेक्ष भार - वित्तीय वर्ष 2021-22 और आगे के वर्षों के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (एमपीसी) को परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुदान जारी करने का निर्धारण करने वाले प्रदर्शन मैट्रिक्स नीचे तालिका-ङ में हैं:

तालिका घ: शहर के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए सापेक्ष भार

पैरामीटर 2021	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
क. प्रदूषण निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना	10	-	-	-	-
ख. वायु प्रदूषण संबंधी स्रोत-वार कारण विश्लेषण	10	-	-	-	-
ग. कार्य योजनाओं पर प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन	10	-	-	-	-
घ. वायु गुणवत्ता सुधारों का परिमाणीकरण और मूल्यांकन	70	100	100	100	100
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

अनुलग्नक-III

आंध्र प्रदेश के 13 लक्षित शहरों में किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा

क्र. सं.	कार्यकलाप	इकाई	शारीरिक प्रगति
1.	सड़कों का एंड-टू-एंड पेवमेंट और चौड़ीकरण	किमी	2883
2.	हरित स्थानों का विकास	एकड़	110
3.	यातायात गलियारों के साथ-साथ हरितीकरण	किमी	1153.8
4	यांत्रिक सड़क सफाई	किमी/दिन	979
5	श्मशान घाटों को स्वच्छ ईंधन पर रूपांतरित करना	सं.	10
6	जंक्शनों में सुधार	सं.	93
7	ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र	टीपीडी	596
8	ठोस अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन प्रणालियाँ	टीपीडी	1621
9	पुराने अपशिष्ट का शोधन	लाख टन	12.5
10	सी एंड डी अपशिष्ट का प्रसंस्करण	टीपीडी	63
11	ईवी चार्जिंग स्टेशन	सं.	45

विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा

क्रम सं.	कार्यकलाप का नाम	इकाई	मात्रा
1	सड़कों का एंड-टू-एंड पेवमेंट और चौड़ीकरण	किमी	26.94
2	हरित स्थानों का विकासज	किमी	0.85
3	यातायात गलियारों का हरितीकरण	किमी	13.8
4	यांत्रिक सड़क सफाई	किमी/दिन	320
5	ठोस अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन	टीपीडी	180
6	पुराने अपशिष्ट का शोधन	लाख टन	2.5
7	यातायात जंक्शनों का सुधार	सं.	19

अनुलग्नक-IV

एनसीएपी के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंध्र प्रदेश के 13 शहरों में पीएम10 सांद्रता में सुधार

क्र. सं.	राज्य	शहर	2017-2018	2024-25	वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में 2024-25 में सुधार का प्रतिशत
			पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m^3)	पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m^3)	
1	आंध्र प्रदेश	राजमुंदरी	85	59	30.6
2		विजयवाड़ा	91	64	29.7
3		कडापा	75	56	25.3
4		कुरनूल	79	60	24.1
5		अनंतपुर	78	60	23.1
6		नेल्लोर	64	51	20.3
7		चित्तूर	70	60	14.3
8		एलुरु	72	64	11.1
9		ओंगोल	65	58	10.8
10		गुंटूर	66	64	3.0
11		विजयनगरम	72	74	-2.8
12		श्रीकाकुलम	69	79	-14.5
13		विशाखापत्तनम	76	101	-32.9

*****